संख्या-87/2023/3540/22-2-2022-17(1373)/2022

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 28 फरवरी, 2023

विषय:- जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुकेश यादव पुत्र श्री रंगीलाल यादव, निवासी जनपद-सन्तकबीर नगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34619/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-14.09.2022) दिनांक-02.11.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुकेश यादव पुत्र श्री रंगीलाल यादव, निवासी-ग्राम-भैंसही उर्फ भैंसवरिया,थाना-महुली, जनपद-सन्तकबीर नगर का है। बन्दी द्वारा दिनांक 21.04.2006 को अपरान्ह 3:00 बजे अपने भाई की लाइसेन्सी बन्दूक से जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए जितेन्द्र कुमार की कनपटी पर गोली मारकर हत्या कर दी एवं 03 अन्य को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-53/2006, में भा0द0वि0 की धारा-302,324 व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, बस्ती के आदेश दिनांक 23.09.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बन्दी द्वारा दिनांक 08.01.2021 तक 14 वर्ष, 08 माह, 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष, 11 माह, 30 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एवं जिला मजिस्ट्रेट, सन्तकबीर नगर द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट संतकबीर नगर द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 21.04.2006 को अपने भाई की लाइसेन्सी बन्दूक से जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए जितेन्द्र कुमार की कनपटी पर गोली मार कर हत्या करने दी व 03 अन्य को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी द्वारा कारित अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नही होने, भविष्य में भी हत्या बलवा जैसे संगीन अपराध किये जाने की प्रबल संभावना का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, कारागार में निरूद्धि के दौरान 06 बार जेलदण्ड से दण्डित किये जाने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत मुकेश यादव पुत्र श्री रंगीनलाल यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुकेश यादव (बन्दी संख्या-478/2018) पुत्र श्री रंगीनलाल यादव के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-87/2023/3540(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सन्तकबीर नगर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, सीतापुर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-87/2023/3540/22-2-2022-17(1373)/2022

दिनांक 28 फरवरी, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुकेश यादव पुत्र श्री रंगीलाल यादव, निवासी-ग्राम-भैंसही उर्फ भैंसवरिया,थाना-महुली, जनपद-सन्तकबीर नगर का है। बन्दी द्वारा दिनांक 21.04.2006 को अपरान्ह 3:00 बजे अपने भाई की लाइसेन्सी बन्दूक से जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए जितेन्द्र कुमार की कनपटी पर गोली मारकर हत्या कर दी एवं 03 अन्य को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-53/2006, में भा0द0वि0 की धारा-302,324 व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, बस्ती के आदेश दिनांक 23.09.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बन्दी द्वारा दिनांक 08.01.2021 तक 14 वर्ष, 08 माह, 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष, 11 माह, 30 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एवं जिला मजिस्ट्रेट, सन्तकबीर नगर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नही होने, भविष्य में भी हत्या बलवा जैसे संगीन अपराध किये जाने की प्रबल संभावना का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट संतकबीर नगर द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा दिनांक 21.04.2006 अपने भाई की लाइसेन्सी बन्दूक से जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए जितेन्द्र कुमार की कनपटी पर गोली मार कर हत्या करने दी व 03 अन्य को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी द्वारा कारित अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नही होने, भविष्य में भी हत्या बलवा जैसे संगीन अपराध किये जाने की प्रबल संभावना का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, कारागार में निरूद्धि के दौरान 06 बार जेलदण्ड से दण्डित किये जाने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत मुकेश यादव पुत्र श्री रंगीनलाल यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।